कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001

email- jdajodhpur@rajasthan.gov.inn वेब–साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/2656355-7 Fax 021-2612086

क्रमांक / आवंटन / 2014 / 1802–5 / 2/2277-316 दिनांक :: 19 सितम्बर, 2014

बैठक कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक श्री भूराराम चौधरी, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति की अध्यक्षता में उनके कक्ष में दिनांक 12 सितम्बर, 2014 को प्रातः 11.00 बजे से आयोजित की गयी। बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट–1 पर उपलब्ध है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः–

प्रस्ताव संख्या 1 :: गत बैठक दिनांक 30–31 जुलाई, 2014 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

कार्यकारी समिति की गत बैठक दिनांक 30–31 जुलाई, 2014 का कार्यवाही विवरण जारी किया जा चुका है। अतः बैठक में लिये गये निर्णय की पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

बैठक में बाद विचार विमर्श निर्णय लिया गया कि गत बैठक दिनांक 30–31 जुलाई, 2014 में प्रस्ताव संख्या 3 (1) के अन्तिम पैरा में "अतः ग्राम बड़ली के खसरा संख्या 88 में उपरोक्त वर्णित अनुसार किये गये आवंटन को निरस्त किया जाकर आवासन मण्डल द्वारा जमा राशि को जब्त किया जाता है।" के स्थान पर "अतः ग्राम बड़ली के खसरा संख्या 88 में उपरोक्त वर्णित अनुसार किये गये आवंटन को निरस्त किया जाता है।" पढा जावे। क्योंकि राशि जब्त करने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया था।

प्रस्ताव संख्या 2 :: ग्राम बड़ली में भूखण्ड आवंटन हेतु आवंटन की प्रकिया, आरक्षित दर का निर्धारण, सर्वे का आधार इत्यादि के संबंध में विचार विमर्श।

राजस्थान सरकार के नोटिफिकेशन नंबर एफएलजी / 56 दिनाक 05.11.1956 के द्वारा मसूरिया कॉलोनी स्कीम में मिल्कमैन कॉलोनी विकास समिति एवं उनसे जुडे सदस्यों जो कि दुग्ध उत्पादन एवं बिक्री से सबंधित थे, उन्हे 2 रूपये प्रति वर्गगज के आधार पर 332 प्लोट पाल रोड स्थित मिल्कमैन कॉलोनी में सन 1956 में एलोट किये गये। तत्पश्चात उपरोक्त प्लोट धारको को शहर से बाहर उपरोक्त कॉलोनी में दुग्ध व्यवसाय का कार्य किया जाना था। लेकिन इनके द्वारा उपरोक्त कॉलोनी में अपना व्यवसाय स्थानान्तरित नही किया गया। उपरोक्त आवंटियों के अतिरिक्त भी शहर में दुग्ध व्यवसाय अन्य व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है। जिसके क्रम में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश जिसमें शहर के समस्त दुग्ध पालकों एवं आवारा पशुओं को शहर के बाहर शिफ्ट किये जाने के क्रम में जोधपुर के खसरा संख्या 88 ग्राम बड़ली जैसलमेर रोड पर पशुपालको के लिए प्रस्तावित गोकुल धाम योजना माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में नगर निगम, जोधपुर के द्वारा किये गये सर्वे सूची के आधार पर जोधपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा दिनांक 17.03.2007 को मिल्कमेन कॉलोनी ग्राम बड़ली हेतु 384 लोगो को लाटरी के माध्यम से चयनित किया गया किन्तु प्राप्त सर्वे रिपोर्ट प्रमाणित नही होने के कारण उक्त कॉलोनी को अमलीजामा नही पहनाया जा सका। अतः जोधपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 30 एवं 31.07.2014 को 17.03.2007 को निकाली गयी लॉटरी को निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

वर्तमान में पुनः माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में नगर निगम जोधपुर एवं जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा श्रीमान जिला कलक्टर जोधपुर के निर्देशन में जोधपुर शहर में दुग्ध उत्पादकों का सर्वे किया गया है। नगर निगम जोधपुर द्वारा प्राप्त सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ही आवंटन की प्रक्रिया की जा सकेगी। आवंटन प्रक्रिया के क्रम में निम्नलिखित कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है:-

1. उपरोक्त मिल्कमेन कॉलोनी बड़ली हेतु राज्य सरकार से स्वीकृति ली जा चुकी है। राज्य सरकार के पत्र राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प3(1136)नविवि/03/2010 दिनांक 17.06.2010 द्वारा माननीय न्यायालय के निर्देशों की पालना में स्वीकृत प्राप्त हो चुकी है।
2. पूर्व में स्वीकृत ले-आउट में संशोधन करते हुए पुनः नया ले-आउट अनुमोदित किया जाना है।
3. आरक्षित दर का निर्धारण।
4. आवंटन के नियम एवं शर्तों का अनुमोदन।
5. लॉटरी का आयोजन मैन्यूली/कम्प्यूटराईज्ड किया जाना है।
6. आवेदन पुस्तिका कीमत व पंजीकरण राशि का निर्धारण।
7. आवंटन का मुख्य आधार नगर निगम, जोधपुर द्वारा प्रमाणित सर्वे सूची मय प्रमाणित दस्तावेज होगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी नगर निगम, जोधपुर की होगी, इस संबंध में भी निर्णय लिया जाना है।

अतः उपरोक्त समस्त बिन्दुओं के संबंध में निर्णय लेने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः-

1- बैठक में नगर निगम, जोधपुर से प्राप्त 125 आवेदन-पत्रों की पत्रावलियों के परीक्षण उपरान्त पुनः पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों की छाया प्रति प्रमाणित करने, आवेदक का फोटो लगाने, रहवास के पते का सबूत आदि का अंकन करने, पशुपालक होने का प्रमाणीकरण करने, नगर पालिका मतदाता सूची वर्ष 1999 व 2009 की प्रति संलग्न करने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जोधपुर को पत्रावलियां पुनः भेजी जाने का निर्णय लिया गया।

2- बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि गोकुलधाम योजना हेतु निदेशक आयोजना जहां तक सम्भव हो लगभग एक समान आकार के भूखण्ड़ रखते हुए टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार योजना का ले-आऊट तैयार कर आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करे।

3- निदेशक अभियांत्रिकी ने आरक्षित दर निर्धारण करने से पूर्व गोकुलधाम योजना की श्रेणी निश्चित करने का प्रस्ताव रखा। अर्थात् योजना को आवासीय श्रेणी में माना जाये अथवा व्यवसायिक श्रेणी में।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि गोकुल धाम योजना को पशु पालकों हेतु विशेष आवासीय श्रेणी रखने हेतु राज्य सरकार को प्राधिकरण से अनुमोदन उपरान्त स्वीकृति हेतु भेजा जाये। तत्पश्चात् राज्य सरकार की स्वीकृति उपरान्त राज्य सरकार के निर्धारित मापदण्ड़ों एवं वर्तमान डी.एल.सी. दर के आधार पर आरक्षित दर निर्धारित कर आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जाये।

2

4– परिशिष्ट–2 पर संलग्न गोकुल धाम योजना की आवेदन पुस्तिका को राज्य सरकार से विशेष आवासीय श्रेणी की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् तथा योजना का ले–आऊट अन्तिम होने के पश्चात् अन्तिम रूप दिया जाना सम्भव होगा।

5– लॉटरी का आयोजन मैनूअल किया जावे।

6– आवेदन पुस्तिका की कीमत 500/– रूपये प्रति आवेदन पुस्तिका तथा धरोहर राशि का का निर्धारण आरक्षित दर के निर्धारण के पश्चात् की जायेगा।

7– आवंटन का मुख्य आधार नगर निगम, जोधपुर द्वारा प्रमाणित सर्वे सूची मय प्रमाणित दस्तावेज होगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी नगर निगम, जोधपुर की होगी

प्रस्ताव संख्या 3 :: एच.आई.वी. पीड़ित बच्चों को वस्त्र मंत्रालय के पीछे भूमि आवंटन के संबंध मे।

अध्यक्ष जोधपुर नेटवर्क ऑफ पिपुल लिविंग एचआईवी संस्थान द्वारा अध्यक्ष जोधपुर विकास प्राधिकरण को दिनांक 05.12.2012 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर एच.आई.वी पोजिटिव बच्चों के चाईल्ड केयर होम हेतु जोधपुर नेटवर्क ऑफ पिपुल लिविंग एचआईवी संस्था को रियायती दर पर भूखण्ड का आवंटन करने की मांग की गयी। उक्त संस्थान राजस्थान सोसायटी अधिनियम 1958 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड संस्था जोधपुर में पंजीकृत है। इस संस्थान को 100'×120'=1333.33 वर्गगज भूमि की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में प्राधिकरण के पटवारी (पश्चिम) से रिपोर्ट मांगवायी गयी। पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम चौखा के खसरा नं. 76 में स्थित वस्त्र मन्त्रालय और नहर के बीच स्थित भूमि उक्त संस्थान की आवश्यकता के अनुरूप बतायी गयी है। पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में उपलब्ध भूमि का क्षेत्रफल 1392.5 वर्गगज दर्शाया गया है। सम्भागीय स्तर पर बिन्दु संख्या 2.1 में निःशक्तजन/मूक/बधिरों एंव बिन्दु संख्या 2.4 में पंजीकृत संस्थाओं के लिए 2000 वर्गमीटर तक भूमि आंवटित किये जाने का क्षैत्राधिकार है।

अतः प्रकरण जोधपुर नेटवर्क ऑफ पिपुल लिविंग एचआईवी संस्थान, जोधपुर को भूमि आंवटन रिजर्व प्राइज/रियायती दर पर दिए जाने हेतु कार्यकारी समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

बैठक में निदेशक–आयोजना ने अवगत कराया कि उक्त क्षेत्र परिधि नियंत्रण पट्टी में हैं जिसका पूर्व में भू–उपयोग परिवर्तन कराया जा चुका है। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव अनुसार भूखण्ड आवंटन करने हेतु प्राधिकरण की अनुशंषा के साथ प्रकरण राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 4 :: राजस्व दिभाग से प्रतिनियुक्ति हेतु रिक्त पदों की सूचना एवं अनुशंषा आयुक्त, भू–प्रबन्ध को करने के संबंध में।

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में अमीन के 14 पद तथा पटवारी के कुल स्वीकृत 16 पदों के विरूद्ध 3 पद पर ही पटवारी प्रतिनियुक्त है। इससे प्राधिकरण के प्रतिदिन के कार्य निष्पादन में काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है। अतः इन पदों पर पदस्थापन्न हेतु राजस्व विभाग/आयुक्त, भू–प्रबन्ध को निवेदन करने के संबंध में कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार राजस्व विभाग/आयुक्त, भू–प्रबन्ध को निवेदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 5 :: बैंक ओवरड्राफ्ट की सीमा रूपये 60.00 करोड से 80.00 करोड़ करने के संबंध में।

प्राधिकरण में विकास कार्यो के बकाया भुगतान करने हेतु अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार राशि की व्यवस्था की जानी है। प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं होने के कारण भुगतान की तत्कालीन आवश्यकता को देखते हुए बैंक की ओवर ड्राफ्ट लिमिट रूपये 60 करोड़ से रूपये 80 करोड़ करने का प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय के ध्यान में लाया तथा मार्च 2013 में बैंक ऑफ महाराष्ट्रा/एस.बी.बी.जे./इण्डसइण्ड बैंक/एक्सिस बैंक से ओवर ड्राफ्ट लेने के प्रस्ताव लिये गये।

बैंक ऑफ महाराष्ट्रा ने सबसे पहले 20 करोड़ की ओवर ड्राफ्ट देने की स्वीकृति का प्रस्ताव दिया जिसको जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर से स्वीकार कर राशि प्राप्त कर ली गई तथा संवेदकों को भुगतान कर दिया गया। अतः बैंक ऑफ महाराष्ट्रा से लिये गये ओवर ड्राफ्ट यानि रूपये 60 करोड़ से रूपये 80 करोड़ की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इसे अनुमोदनार्थ प्राधिकरण की आगामी बैठक में रखा जाये।

अन्य प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से:–

प्रस्ताव संख्या 6 :: विकास कार्यों के संबंध में।

बैठक में उपस्थित निदेशक–अभियांत्रिकी ने अवगत कराया गया कि कार्यकारी समिति की गत बैठक में निरस्त कार्यों की सूची में ऐसे कार्य भी सम्मिलित कर लिये गये जो वर्तमान में प्रगतिरत् है तथा उनके रनिंग बिलों का भी भुगतान किया जा रहा है। अतः उक्त कार्यों को निरस्त किये जाने वाले कार्यों की सूची में से हटाया जाना उचित है। निदेशक–अभियांत्रिकी द्वारा प्रस्तुत सूची परिशिष्ट–3 पर संलग्न है। अतः इस संबंध में निर्णय लेने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त सूची (परिशिष्ट–3) में वर्णित कार्यों के संबंध में निदेशक–अभियांत्रिकी एवं निदेशक–वित्त गुणावगुण के आधार पर कार्य चालू रखने के संबंध में निर्णय आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में स्वीकृति की प्रत्यक्षा में लेने हेतु अधिकृत करने का निर्णय लिया गया।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(अज़रा परवीन)
सचिव

कमांक/आवंटन/2014/1802–5/2/2277-316 दिनांक :: 19 सितम्बर, 2014

प्रतिलिपि:–

01. प्रमुख शासन सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
02. जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर
03. उपायुक्त–पूर्व/पश्चिम/मुख्यालय/यातायात, जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर
04. आयुक्त (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) नगर निगम, जोधपुर
05. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर

2277-316
19/9/14

06. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर
07. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
08. प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड
09. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम
10. उप निदेशक, पर्यटन, जोधपुर
11. निदेशक– अभियांत्रिकी/नियोजन/वित्त/विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
12. निजी सचिव (आयुक्त/अध्यक्ष महोदय), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
13. श्री मनीष भाटी, एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14. ....

(अजरी परवीन)
सचिव

2277-316
19/9/14

परिशिष्ट–1

दिनांक 12 सितम्बर, 2014 को प्रातः 11.00 बजे श्री भूराराम चौधरी, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में आयोजित कार्यकारी समिति की बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण

1. श्री हरिसिंह राठौड़, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जोधपुर
2. श्री ओ.पी. बुनकर, अति.कलक्टर–शहर, जोधपुर
3. श्री मिश्रीमल फुलवारिया, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
4. श्री सुमेरसिंह गौदारा, प्रबन्धक (याता) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर
5. श्री के.के. माथुर, उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर
6. श्री पी.सी. गौड, पर्यटन अधिकारी, जोधपुर
7. श्री आर.एन. विश्नोई, अधिशाषी अभियन्ता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
8. श्री एस.आर. जोशी, निदेशक–अभियांत्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
9. श्री आर.पी. शर्मा, निदेशक–वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
10. श्री जगदीशचन्द्र चौहान, निदेशक–विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
11. श्री अनिल माथुर, निदेशक–आयोजना, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
12. श्री छोगाराम देवासी, उपायुक्त–दक्षिण/उत्तर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
13. श्रीमती (डॉ.) सुनिता पंकज, उपायुक्त–पूर्व/पश्चिम, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14. श्री हिम्मत अभिलाश टाक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15. श्री मोहनलाल, सहायक पुलिस निरीक्षक, कार्यालय उपायुक्त पुलिस–पूर्व, जोधपुर
16. श्री ज्ञानेश्वर व्यास, अधीक्षण अभियन्ता, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
17. श्री पी.आर. बेनीवाल, उप नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
18. श्री केवलचन्द गहलोत, सहायक लेखाधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
19. श्री (डॉ.) ललित कुमार मतनानी, सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
20. श्रीमती अज़रा परवीन, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर